-प्रेस नोट-

दिनांक 10.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मुठभेड़ में एक घायल सहित 02 अन्तर्राज्यीय वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा/01 खोखा कारतूस व 03 मोटरसाईकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण जैसे गौकशी, चोरी, वाहन चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, लूट आदि घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है । इसी क्रम में आज दिनांक 09/10.09.2025 की रात्रि को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मानकमऊ से नकुड की तरफ जाने वाले रास्ते पर गस्त की जा रही थी तभी ग्राम ऊनाली से पहलें धुलाई सेन्टर के पास एक खण्डहर में एक मोटरसाईकिल की स्टार्ट होने की आवाज सुनायी दी तो पर पुलिस टीम द्वारा टॉर्च की रोशनी से खण्डहर में चैक किया गया तभी एक व्यक्ति द्वारा पुलिस को अपनी ओर आते देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा बदमाश पर आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। जबावी फायरिंग में बदमाश के बायें पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान **1.मनोज पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम हल्लू माजरा थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार के रूप में हुई जिसके** कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 01 खोखा/01 जिन्दा व नाल में फंसा हुआ 01 जिन्दा कारतूस व 02 अपाचे मोटरसाईकिल बरामद हुयी, गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मोटरसाईकिल को एक अन्य व्यक्ति लुकमान को बेचने के लिए लाया था वह व्यक्ति धुलाई सेन्टर के पास खडा हुआ है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर चोरी की बाइक के खरीदार व्यक्ति लुकमान को भी गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त लुकमान के कब्जे से 01 मोटरसाईकिल स्पलेण्डर प्लस बरामद की गई। जिसका नाम व पता **2. लुकमान पुत्र ईरफान निवासी ग्राम चाँदपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** है। घायल बदमाश मनोज उपरोक्त को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 325/25 धारा 109(1)/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया है। बरामद अपाचे मोटरसाइकिल UP11AL6702 के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0-174/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त मनोज के विरुद्ध जनपद सहारनपुर व हरिद्वार में चोरी, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट आदि आपराधिक घटनाओं में लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. मनोज पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम हल्लू माजरा थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
2. लुकमान पुत्र ईरफान निवासी ग्राम चाँदपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।

अभियुक्त मनोज (घायल) उपरोक्त के कब्जे से बरामदगी का विवरणः-

- 01 अपाचे (रजि0नं0- UP11AL6702) (थाना कुतुबशेर क्षेत्र से चोरी की गई मोटरसाईकिल)
- 01 अपाचे (रजि0नं0- UP34BE5103) (जनपद हरिद्वार से चोरी की गई मोटरसाईकिल)
- 01 तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा/01 खोखा कारतूस

अभियुक्त लुकमान उपरोक्त के कब्जे से बरामदगी का विवरणः-

- मोटरसाईकिल स्पलेण्डर प्लस (रजि0नं0 UP11AS7852) (थाना देवबन्द क्षेत्र से चोरी)

अभियुक्त मनोज उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 35/2015 धारा 379 भादवि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 15/2018 धारा 379/411 भादवि थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 322/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 0000/2015 धारा 414 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 58/2015 धारा 379 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 60/2015 धारा 25आयुद्ध अधि0 थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 76/2015 धारा 414 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 209/2020 धारा 420/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 130/2012 धारा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 174/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 325/25 धारा 109(1)/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्मस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री भूपेश शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 12 अंकुश गोदारा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 1270 अमित कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. है0का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक - 10.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा वारण्टी को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, सहारनपुर के निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.09.2025 को वारण्टी नौमान पुत्र फारूख निवासी ग्राम खुर्द थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0- 7201/25 मु0अ0सं0- 32/12 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना जनकपुरी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता:-

1. नौमान पुत्र फारूख निवासी ग्राम खुर्द थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 श्री विवेक वैद्यवान थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. कां0 1766 मोहन थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा गुमशुदा को सकुशल बरामद कर परिजनो के किया गया सुपुर्द

अवगत कराना है कि दिनांक 09.09.2025 को वादी श्री शमशाद अहमद उर्फ भूरा पुत्र शकील अहमद निवासी मौहल्ला खानआलमपुरा देहरादून रोड निकट कुतुबवाली मस्जिद थाना जनकपुरी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी का पुत्र मो0 अजीम उम्र लगभग - 18 वर्ष घर से बिना बताये कही चले जाने तथा अभी तक वापस नही आने के सम्बन्ध मे थाना जनकपुरी पर गुमशुदगी पंजीकृत की गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर गुमशुदा की शीघ्र बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी को आदेश-निर्देश दिए । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2025 को थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए **गुमशुदा अजीम पुत्र शमशाद अहमद उर्फ भूरा निवासी मो0 खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर उम्र करीब 18 वर्ष** को रेलवे स्टेशन के पास से सकुशल बरामद कर परिजनो के सुपुर्द किया गया। परिजनो द्वारा जनकपुरी पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

गुमशुदा का नाम व पता:-

अजीम पुत्र शमशाद अहमद उर्फ भूरा निवासी मोहल्ला खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर उम्र करीब 18 वर्ष

गुमशुदा को बरामद करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 श्री रणपाल सिहं, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. कां0 2052 रोहित सैन, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।

दिनांक: 10.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता,सहारनपुर पुलिस द्वारा मन्दिर मे चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 9570/- रुपये बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 07.07.2025 को वादी श्री रामकुमार पुण्डीर पुत्र सुरेश कुमार पुण्डीर मन्दिर सेवक निवासी पूनम क्लिनिक देवबंद रोड नानौता सहारनपुर द्वारा अज्ञात चोर द्वारा शनि धाम मन्दिर की दीवार तोडकर मन्दिर से दानपात्र व वाईफाई राउटर चोरी कर ले जाने के संबन्ध थाना नानौता पर मु0अ0सं0 150/25 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.09.2025 की रात्रि मे थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 150/25 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर **1.हिमान्शु पुत्र कमल कुमार निवासी ग्राम पाण्डोखेडी थाना नानौता जनपद सहारनपुर 2.अरुण पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम पाण्डोखेडी थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को रुहाडा पुलिया पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से चोरी किये गये कुल 9570/- रुपये क्रमश अभियुक्त हिमान्शु से 4970 रुपये व अरुण से 4600 रुपये बरामद किये गये। बरामजगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो लोग नशा करने के आदि है नशे की पूर्ति करने के लिये हम दोनो चोरी कर लेते है। हम दोनो ने मिलकर करीब दो महीने पहले दिल्ली रोड स्थित शनि धाम मन्दिर की पीछे की दीवार तोडकर मन्दिर मे रखे दान पात्र को उठाकर ले गये थे तथा मन्दिर मे लगा नेट का राउटर तोड दिया था तथा दान पात्र से हम लोगो को जो पैसे मिले थे इन्हे हम दोनो ने आपस मे बाँट लिया था तथा दान पात्र को हमने राह चलते कबाडी को बेच दिया था। आज हमसे जो 9570/- रुपये मिले है वो उसी दान पात्र से चोरी किये गये रुपये है बाकी रुपये हमने खर्च कर दिये है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. हिमान्शु पुत्र कमल कुमार निवासी ग्राम पाण्डोखेडी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. अरुण पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम पाण्डोखेडी थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 4970/- रूपये अभियुक्त हिमांशु से बरामद-
- 4600/- रूपये अभियुक्त अरूण से बरामद

अभियुक्त हिमान्शु आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 307/16 धारा 147/323/324/504/506 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 16/24 धारा 324/504/506 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0स0 60/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0स0 150/25 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर

अभियुक्त अरूण उपरोक्त आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 16/24 धारा 324/504/506 भादवि थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 150/25 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 आकाश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 729 उपेन्द्र थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 10.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 10.09.25 को 04 वारन्टी अभियुक्तगण **1.जहांगीर पुत्र ताहिर नि0 ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर 2.रकमुद्दीन पुत्र नसीबू नि0 घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 9343/25 धारा 147/148/336 भादवि सम्बन्धित न्यायलय न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय जनपद सहारनपुर 3.**सन्दीप पुत्र काका नि0 ग्राम फेरूमाजरा थाना नकुड़ जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 4891/25 धारा 504/506 भादवि सम्बन्धित मा0 न्यायलय न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय जनपद सहारनपुर 4.**इदरीश पुत्र खुर्शीद नि0 ग्राम कुल्हेड़ी थाना नकुड जिला सहारनपुर** वाद संख्या 5343/2025 मु0अ0सं0 184/2020 धारा 60(2) आबकारी अधि0 272/273 भादवि सम्बन्धित मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय जनपद सहारनपुर को इनके घरो से गिरफ्तार किया गया अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. जहांगीर पुत्र ताहिर नि0 ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर
2. रकमुद्दीन पुत्र नसीबू नि0 घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर
3. सन्दीप पुत्र काका नि0 ग्राम फेरूमाजरा थाना नकुड़ जिला सहारनपुर
4. इदरीश पुत्र खुर्शीद नि0 ग्राम कुल्हेड़ी थाना नकुड जिला सहारनपुर

वारन्टी अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री संतोष त्यागी थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
2. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
3. उ0नि0 श्री रणवीर शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
4. उ0नि0 श्री अजीत सिह थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
5. उ0नि0 श्री ओमेन्द्र सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
6. उ0नि0 श्री विश्वेश्वर दयाल शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
7. म0उ0नि0 सिमरन कमलेश थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
8. म0उ0नि0 प्रशिक्षु कोमल थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
9. है0का0 713 नितिन कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
10. है0का0 693 वीरप्रताप तोमर थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
11. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
12. का0 1806 योगेश शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
13. का0 2510 हरिओम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 10.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 29.08.2025 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत राहुल पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ छेडछाड व मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 213 /25 धारा 126(2)75/78 /115(2)351(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 7/8 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुये अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त राहुल पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को मुजफ्फराबाद पुलिया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राहुल पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर।
3. है0का0 1032 ललित कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर।

दिनांक- 10.09.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 125 ग्राम अवैध चरस बरामद

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 10.09.2025 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान **अभियुक्त नौमान पुत्र इसराईल नि0 ग्राम खेड़ा अफगान थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को ग्राम रणदेवा रोड पर स्थित समाधी के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 125 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 358/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नौमान पुत्र इसराईल नि0 ग्राम खेड़ा अफगान थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 125 ग्राम अवैध चरस

अभियुक्त नौमान का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 224/23 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना नकुड सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 72/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 182/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर।
4. का0 1806 योगेश कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर।
5. कां0 2386 विनित सोनी थाना नकुड़ सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः-10.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व चोरी/लूट/नकबजनी आदि घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.09.2025 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान **अभियुक्त सौरभ उर्फ काका पुत्र करेशन निवासी ग्राम सरुरपुर गाडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को गुरुकुल ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल के पास से से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 369/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सौरभ उर्फ काका पुत्र करेशन निवासी ग्राम सरुरपुर गाडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 नाजायज चाकू

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 110/20 धारा 188,269,270 भादवि थाना बडगाव जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 369/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अनुज कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 1194 लखन सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. का0 2413 जगदीश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनाँक- 10.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा पशु चोरी के मुकदमे मे वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 25.07.2025 को थाना सरसावा पर वादी महावीर सिंह पुत्र पहल सिंह निवासी ग्राम माजरी कला थाना सरसावा जिला सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.इदरीश पुत्र इस्लाम 2.अल्ताफ पुत्र जाहिद निवासीगण ग्राम तेलीपुरा थाना सरसावा द्वारा वादी की एक भैंस को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0स0 290/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। दिनांक 06.08.2025 को अभियुक्त इदरीस उपरोक्त को पूर्व मे गिरफ्तार किया जा चुका है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2025 को पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त अल्ताफ पुत्र जाहिद निवासी ग्राम तेलीपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से भैंस बेचकर मिले रुपयो में से शेष 2140/- रुपये बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अल्ताफ पुत्र जाहिद निवासी ग्राम तेलीपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 2140/- रुपये नकद (भैस को बेचने के बाद शेष बचे)

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 290/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 338/24 धारा 63 आब0 अधिनियम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 महेश सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 गौरव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 2413 जगदीश थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 10.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2025 को तलाश व दविश के दौरान थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तगण 1.**अमित उर्फ छोटा पुत्र हुकमचन्द निवासी वर्धमान कालोनी निकट बालाजी चौक थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद सं0 26469/18 धारा 60 आबकारी अधि0 चालानी थाना कुतुबशेर सहारनपुर) **2.जितेन्द्र पुत्र स्व0 भूपेन्द्र सिंह निवासी यमुना एक्शन प्लाट अम्बा विहार कालोनी मल्हीपुर रोड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** (सम्बन्धित परिवाद सं0 552/23 धारा 138 एनआई एक्ट चालानी थाना सदर बाजार सहारनपुर) को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1. अमित उर्फ छोटा पुत्र हुकमचन्द निवासी वर्धमान कालोनी निकट बालाजी चौक थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. जितेन्द्र पुत्र स्व0 भूपेन्द्र सिंह निवासी यमुना एक्शन प्लाट अम्बा विहार कालोनी मल्हीपुर रोड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिह थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 बलवीर सिह थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 सुबोध कुमार शर्मा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 526 सनोवर ताज थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 241 कपित तोमर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
6. का0 2314 युधिष्ठर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 19.08.2025 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त शहनवाज उर्फ सानू पुत्र नसीर निवासी ग्राम भोजपुर तगा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग भतीजी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 197/25 धारा 137(2) बीएनएस मे पंजीकृत किया गया था। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 87/64(1) बीएनएस व 5 j (ii) पोक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतू आदेश निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेनी सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2025 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा वांछित **अभियुक्त शहनवाज उर्फ सानू पुत्र नसीर निवासी ग्राम भोजपुर तगा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** (सम्बन्धित मु0अ0सं0197/2025 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 5 j (ii) पोक्सो अधि0) को साईफन पुलिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

शहनवाज उर्फ सानू पुत्र नसीर निवासी ग्राम भोजपुर तगा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का0 2400 दीपचन्द थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 10.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतू अभियान चलाया जा रहा है अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एंव सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2025 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त **अमजद पुत्र सईद निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या—3866/23 धारा 3/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर को अभियुक्त को ग्राम दुमझेडा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम पता-

अमजद पुत्र सईद निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उ0नि0 श्री हरेन्द्र कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. का0 1551 अमित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 10.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना,पुलिस द्वारा चोरी की घटना का मात्र 48 घन्टे मे अनावरण करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया शत-प्रतिशत सामान 03 मोबाईल फोन, 04 ब्लुटूथ/एय़रपोड, 03 स्पीकर व 01 मोबाईल स्टैण्ड बरामद-

अवगत कराना है कि दिनांक 08.09.2025 को वादी श्री प्रवीण कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम पठेड थाना चिलकाना स0पुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वादी की दुकान से 03 मोबाईल फोन, 04 ब्लुटूथ/एय़रपोड, 03 स्पीकर व 01 मोबाईल स्टैण्ड (सैल्फी स्टिक) चोरी करने के सम्बन्ध मे थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 227/25 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 10.09.2025 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि0गण **1.सुमित पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम टोडरपुर थाना चिलकाना जनपपद सहारनपुर** 2. **शिवम उर्फ धोनी पुत्र पप्पू निवासी टोडरपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** 3.**शिवा पुत्र सुन्दर निवासी ग्राम टोडरपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को चिलकाना गन्देवड मार्ग से ग्राम ढलानी के पास टयूबवैल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त मे चोरी किया गया शत प्रतिशत सामान 03 मोबाईल फोन, 04 ब्लुटूथ/एय़रपोड ,03 स्पीकर व 01 मोबाईल स्टैण्ड (सैल्फी स्टिक) बरामद किया गया। मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्वि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. सुमित पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम टोडरपुर थाना चिलकाना जनपपद सहारनपुर
2. शिवम उर्फ धोनी पुत्र पप्पू निवासी टोडरपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. शिवा पुत्र सुन्दर निवासी ग्राम टोडरपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवगण–

- 03 मोबाइल फोन
- 04 ब्लुटूथ/एय़रपोड ,
- 03. स्पीकर
- 01 बाईल स्टैण्ड (सैल्फी स्टिक)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1- उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

2. है0का0 934 संजीव कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

3.है0का0 913 अरूण कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

दिनांक 10.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मंदिर से दानपात्र चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जें से चोरी गयें 605/- रूपयें व घटना में प्रयुक्त 01 हथोडा व 01 सरिया बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 07.09.25 को वादी श्री दलसिह पुत्र रगबीर सिह निवासी ग्राम रूपडी गुर्जर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा मदिर परिसर से दान पात्र चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 322/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में सम्बन्धित को आदेश-निर्देश दिए इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2025 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना में प्रकाश में आए अभियुक्त **दानिश पुत्र तासीम निवासी मदीना मस्जिद मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर सर्किट हाऊस रोड पर खाली पडे ग्राउन्ड के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 605/- रुपये नकद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में **धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी**। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभुयक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मै नशा करने का आदी हूँ नशे की हालत मे मैने गंगोह रोड रविदास मन्दिर से दान पात्र चोरी कर लिया था मैने उसे तोडकर पैसे निकाल लिये थे, दान पात्र में कुल 1500 रुपये मिले थे जिसमें से कुछ पैसे मैने खर्च कर लिये थे। जो पैसे (605/-) मुझसे बरामद हुये उसी दान पात्र से चोरी के है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

दानिश पुत्र तासीम निवासी मदीना मस्जिद मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 605 रुपये बरामद (चोरी के)
- 01 हथौड़ा व 01 सरिया (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 397 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 272 संदीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 10.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी 01 मोटरसाईकिल स्प्लेंडर प्लस व फर्जी नम्बर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराध नियन्त्रण व अपराधियो की गिरफ्तारी व वाहन चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान वाहन चोर युवराज सिंह पुत्र सुरेश कुमार निवासी ग्राम मोहितपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखंड को खलासी लाईन मे छोटी लाइन पर सरकारी कोटे की दूकान के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से चोरी गयी 01 बिना नम्बर मोटर साईकिल स्पेलडर प्लस मय फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 462/25 धारा 317(5),318(4),336(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मै पहले सडक किनारे खडे वाहनो की रेकी करता हू तथा बाद मौके मिलते ही चोरी कर लेता हू और बाद मे अच्छे दामो मे बेच देता हूँ। आज भी मै मोटरसाईकिल चोरी करके बेचने जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

युवराज सिंह पुत्र सुरेश कुमार निवासी ग्राम मोहितपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखंड

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोटरसाईकिल बिना नम्बर
- 02 फर्जी नम्बर प्लेट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सदर बाजार, सहारनपुर
2. है0का0 660कपिल कुमार थाना सदर बाजार, सहारनपुर
3. का0 2064 रूचिन थाना सदर बाजार, सहारनपुर

.

दिनांक: 10.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई 03 बैटरी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 07.09.2025 को वादी मौ0 आसिफ अन्सारी पुत्र मौ0 सईद अन्सारी निवासी खान आलमपुरा मन्दिर वाली गली थाना जनकपुरी सहारनपुर इंटिग्रेटेड कंट्रोल एण्ड कमाण्ड सैन्टर (IC.C.C.) सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा **ICCC** (POP) LOCATION**)** बेहट अड्डा स्थित अनाज गोदाम के कमरे से 01 यू.पी.एस व 08 बैट्री चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0- 184/25 धारा- 305(A)**/**331(2)/324(3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक**,** सहारनपुर द्वारा तत्काल चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये 01 वांछित **अभियुक्त शाहरूख पुत्र इलियास निवासी मौहल्ला गुलाम कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर हाल पता मौहल्ला नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को वृद्धा आश्रम के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से चोरी की गयी 03 बैटरी बरामद की गई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

(दिनांक 08.09.2025 को विवेचना में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त शाहवेज को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जिसके कब्जे से 05 बैटरी व 01 यूपीएस बरामद हुआ था।)

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 07.09.2025 की सुबह करीब 4.00 बजे मैने और मेरे पडौसी शाहवेज नें मिलकर बेहट अडडे के पास स्थित अनाज गोदाम में बने कमरे से 08 बैटरी व एक इन्वर्टर चोरी किये थे, जिसमे से 05 बैटरी व 01 इन्वर्टर को हम दोनो नें दर्शन नगर में स्थित खंडर में छिपा दिये थे और 03 बैटरी को मै बेचने के लिये अपने साथ ले गया था लेकिन पकडे जाने के डर की वजह से बेच नही पाया था आज इन तीनो बैट्री को बेचने के लिये जा रहा था कि आपने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शाहरूख पुत्र इलियास निवासी मौहल्ला गुलाम कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर हाल पता मौहल्ला नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 03 एक्साईड बैटरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 907 तरूण शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. है0का0 1063 शान मौहम्मद थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
4. का0 1354 अभिषेक खोखर थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।